



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, दिसम्बर 8—दिसम्बर 14, 2019, शनिवार/ अग्रहायण 17—अग्रहायण 23, 1941
No. 49] NEW DELHI, DECEMBER 8—DECEMBER 14, 2019, SATURDAY/ AGRAHAYANA 17—AGRAHAYANA 23, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.361.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मंत्रिमंडल सचिवालय कार्यक्रमक और आँकड़ा प्रसंस्करण सहायक श्रेणी 'ख' भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ उनका संबंध कार्यक्रमक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्यक्रमक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय कार्यक्रमक भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यक्रमक	*02 (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 8 (47,600-1,51,100/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में के ऐसे विभागीय आँकड़ा प्रसंस्करण सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की है और पी.एच.पी. या .नेट या माय एस क्यू एल या वेब सेवा (जावा, पीएचपी, .नेट) या बूटस्ट्रेप या जावास्क्रिप्ट या जे क्वेरी प्रोग्रामिंग में 4 हफ्ते का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी—

(क) (i) जिन्होंने मूल विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) मूल प्रवर्ग या विभाग वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर्स डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी का बेचलर या कंप्यूटर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी की बेचलर डिग्री।

(ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पीएचपी, .नेट, माय एस क्यू एल, वेब सेवा (जावा, पी एच पी, .नेट) बूटस्ट्रेप, जावास्क्रिप्ट, जे क्वेरी प्रोग्रामिंग में 2 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), मंत्रिमंडल सचिवालय	— अध्यक्ष
(ii) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), मंत्रिमंडल सचिवालय	— सदस्य
(iii) तकनीकी निदेशक (राष्ट्रीय सूचना केंद्र), मंत्रिमंडल सचिवालय	— सदस्य

[फा. सं. ए-12018/01/2017- प्रशा. 1]

इन्द्राणी गुप्ता, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd December, 2019

G.S.R. 361.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Cabinet Secretariat Programmer and Data Processing Assistant Grade 'B' Recruitment Rules, 2000 in so far as they relate to the post of Programmer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Programmer in the Cabinet Secretariat, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Cabinet Secretariat Programmer Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, economically weaker sections, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Programmer.	* 02 (2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600 – 151100)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

Promotion:

(Departmental Data Processing Assistant in level 7 in the pay matrix with two years' regular service in the grade and has successfully completed training of four weeks in PHP or .Net or MySQL or Web Services (Java, PHP, .Net) or Bootstrap or Javascript or JQuery Programming.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract)

Officers under the 'Central or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations.

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent department;
or
(ii) with two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing the following educational qualifications and experience:
(i) Masters Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science of a recognised University or Institute; or
Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute.
(ii) two years experience in PHP, .Net, MySQL, Web Services (Java, PHP, .Net), Bootstrap, Javascript, JQuery Programming in a Government office or Public Sector Undertakings or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognised institution.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The Maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Joint Secretary (Administration), Cabinet Secretariat – Chairman. 2. Director or Deputy Secretary (Administration), Cabinet Secretariat – Member. 3. Technical Director (National Informatics Centre), Cabinet Secretariat – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

[F. No. A-12018/01/2017-Ad. I.]

INDRANI GUPTA, Director

नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.362.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय में उप निदेशक (संचार दिक्कालन और निगरानी) और सहायक निदेशक (संचार दिक्कालन और निगरानी) के समूह 'क' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, उप निदेशक (संचार दिक्कालन और निगरानी) और सहायक निदेशक (संचार दिक्कालन और निगरानी) समूह 'क' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद- संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर आदि.— पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां तक केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप निदेशक (संचार दिक्कालन और निगरानी)	1*(2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय	स्तर-12 (रू.78800-209200/-)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/- रुपये) में सहायक निदेशक (संचार दिक्कालन और निगरानी) की श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष; 2. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय - सदस्य; और 3. महानिदेशक, नागर विमानन - सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर अधिकारियों को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी,-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/- रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा की है; और
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:-

(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रिकल विषय में इंजीनियरी स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी स्नातक; और

(ii) निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में कुल मिला कर दस वर्ष का अनुभव:-

(क) संचार, दिक्चालन तथा निगरानी प्रणालियों जिसमें सैटेलाइट संचार प्रणालियां भी शामिल हैं, में कार्य का अनुभव;

(ख) संचार, दिक्चालन तथा निगरानी प्रणालियों से संबंधित विनियामक लेखा-परीक्षाओं अथवा तकनीकी लेखा-परीक्षाओं अथवा गुणवत्ता लेखा परीक्षाओं में अनुभव;

(ग) संचार, दिक्चालन तथा निगरानी प्रणालियों का रखरखाव और निरीक्षण।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक निदेशक (संचार दिक्चालन और निगरानी)	2* (2019) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसन्धित	स्तर-11 (67700-208700/- रुपये)	लागू नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स या इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं इलैक्ट्रिकल में इंजीनियरी स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी स्नातक; और (ii) निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर पांच वर्ष का अनुभव:- (क) संचार, दिक्चालन तथा निगरानी प्रणालियों जिसमें सैटेलाइट संचार प्रणालियां भी शामिल हैं, में कार्य का अनुभव (ख) संचार, दिक्चालन तथा निगरानी प्रणालियों से संबंधित विनियामक लेखा-परीक्षाओं / तकनीकी लेखा-	लागू नहीं होता।	दो वर्ष जो अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने की अधीन हैं। प्रशिक्षण: नवनियुक्त अधिकारियों को संगठन, उसके विजन तथा मिशन की सामान्य जानकारी देने और उनके कार्य के लिए अपेक्षित कार्य निष्पादन की आवश्यक सक्षमता प्राप्त करने के लिए कम से कम दो हफ्ते का प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रारंभिक प्रवेश प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात, नव-नियुक्त अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संस्थानों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद

परीक्षाओं/ गुणवत्ता लेखा परीक्षाओं में अनुभव (ग) संचार, दिक्चालन तथा निगरानी प्रणालियों का रखरखाव और निरीक्षण टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		कार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।	धारण किए हुए हैं; या (II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स, स्तर-10 (56100-177500/- रुपये) में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा अवधि शामिल है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
---	--	------------------------------------	---

11	12	13
लागू नहीं होता।	समूह 'क' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक, नागर विमानन —अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय - सदस्य; 3. संयुक्त अथवा उप महानिदेशक (संबंधित), नागर विमानन - सदस्य; 4. निदेशक (प्रशासन), नागर विमानन महानिदेशालय — सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. ए-12018/10/2018-भर्ती सेल]

सुनील कुमार अदलखा, उपनिदेशक प्रशासन

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION)

New Delhi, the 11th December, 2019

G.S.R. 362.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'A' posts of Deputy Director (Communication Navigation and Surveillance) and Assistant Director (Communication Navigation and Surveillance) in the Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation, namely:-

1. **Short title and commencement .—** (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation, Deputy Director (Communication Navigation and Surveillance) and Assistant Director (Communication Navigation and Surveillance) Group 'A' Gazetted Posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application .—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix etc.,**.—The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification** .—No Person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** .—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Posts	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Director (Communication Navigation and Surveillance)	1 *(2019) *(subject to variation dependent on workload)	General Central Services, Group 'A' Gazetted, non-Ministerial	Level-12 (Rs. 78800-209200/-)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Director (Communication Navigation and Surveillance) in Level-11 (Rs. 67700-208700/-) in the pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by Competent Authority	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; (ii) Secretary, Ministry of Civil Aviation - Member; (iii) Director General of Civil Aviation -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

from time to time.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions:-

(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-11 (Rs. 67700-208700/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(B) possessing the following educational qualifications and experience:-

(i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electronics or Electronics and Communication or Electronics and Telecommunication or Electronics and Electrical from a recognised University or Institution; and

(ii) Total combined ten years' experience in all the following fields taken together:-

(a) Working experience in Communication, Navigation and Surveillance Systems which may include Satellite Communication Systems.

(b) Experience in regulatory audits or technical audits or quality audits pertaining to Communication, Navigation and Surveillance Systems.

(c) Maintenance and inspection of Communication, Navigation and Surveillance Systems.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be

eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Director (Communication Navigation and Surveillance)	2 *(2019) *(subject to variation dependent on workload)	General Central Services, Group 'A' Gazetted, non-Ministerial	Level-11 (Rs. 67700-208700/-)	Not applicable	Not exceeding 40 years. Note 1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electronics or Electronics and Communication or Electronics and Telecommunication or Electronics and Electrical from a recognised University or Institution. Experience: Total combined Five years' experience in all the following fields taken together:- (a) Working experience in Communication, Navigation and Surveillance Systems which may include Satellite Communication Systems. (b) Experience in regulatory audits/technical audits/quality audits pertaining to Communication, Navigation and Surveillance Systems. (c) Maintenance and inspection of Communication, Navigation and Surveillance Systems.	Not applicable	Two years subject to successful completion of mandatory induction training. Training: The newly inducted officers shall be provided an induction training for a period of minimum two weeks to enable officers to get a general understanding about the organisation, its vision and mission and acquire necessary competency required for performing their job. After completion of initial induction training, the newly inducted officers will be provided on the job training to enable them to handle their responsibility	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institution or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisites experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		independently.	(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7. Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
---	--	----------------	--

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Director General of Civil Aviation - Chairman; (ii) Director or Deputy Secretary, Ministry of Civil Aviation - Member; (iii) Joint or Deputy Director General of Civil Aviation (concerned) - Member; (iv) Director (Administration), Directorate General of Civil Aviation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/10/2018 -R. Cell]

SUNIL KUMAR ADLAKHA, Dy. Director of Administration